भारत में पर्यावरण के विविध आयाम एवं चुनौतियाँ एक अध्ययन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के विशिष्ट संदर्भ में।

*डॉ. मंजु शर्मा

भूमिका :–

पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ हैं। 'परि' जो हमारे चारों ओर है 'आवरण' जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं अर्थात हम सभी को पूर्व विदित है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेर हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो कि सी पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े–मकोड़े, सभी जीव–जंतु और पेड़–पौधे आ जाते है।

पृथ्वी पर पाये जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। प्राकृतिक पर्यावरण के ये जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र में स्थापित होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानते है। पर्यावरणीय समस्याएँ जैसे प्रदूषण, जलवायु, परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवनशैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही है और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा है। पर्यावरण का अध्ययन हम दो भागों में बाँटकर कर सकते है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है। अगर देखा जाये तो सर्वाधिक प्रभाव वन्य जीव–जन्तुओं एवं पेड़–पौधों पर पड़ा है।[1]

भारत सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिये समय–समय पर विभिन्न कानूनी प्रावधान किये हैं। 1972 का वन्य जीव अधिनियम इसी कड़ी में मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रस्तुत अध्याय में हम वन्य जीव अधिनियम पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेगें।

संकेत शब्द :– पर्यावरण, संवर्द्धन, अधिनियम, अभ्यारण, प्राधिकरण, संशोधन, क्रियान्वन, प्रतिबंध।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया।[2]

वन्य जीव संरक्षण पर संवैधानिक ढाँचे का अवलोकन :–

वन्य जीवन, वन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये संवैधानिक ढांचा भारत के संविधान के अनुच्छेद

21 के तहत मौजूद है। जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण/वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त का अनु. 48A पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण और वनीय जीवों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है।

भारतीय संविधान की उददेशिका मे यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तथापि जिस समाजवादी राज्य की परिकल्पना की गई है वह तभी संभव है जब सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो। यह सत्य है कि सभी का जीवन स्तर केवल स्वच्छ पर्यावरण अर्थात् प्रदूषण रहित पर्यावरण में ही संभव है। मूलाधिकारों में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के बारे मे कोई प्रावधान नहीं हैं। लेकिन कुछ मूलाधिकारों में पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से समाहित किया गया है। 42वें संविधान के पूर्व भारतीय संविधान में अनु. 47 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद था जो पर्यावरण के बारे में प्रावधान करता था। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान द्वारा अनु. 48-क जोड़ा गया जो निम्न उपबंध करता हैं।[3]

''राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रयास करेगा।''

इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4-क जोड़ा गया। इस भाग के अनु. 51-क में नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्यों को समाविष्ट किया गया है।

अनु. 51-क खंड (छः) स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उपबंध करता है इसके अनुसार - ''भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्त्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणी-मात्र के प्रति दया भाव रखें।

पर्यावरण संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय प्रावधान :-

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएँ यथा 268,269,272,278,284,290 तथा 426 में प्रदूषण के लिए दंडात्मक प्रावधान है। धारा 133 में भी व्यापक प्रावधान है।

इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 के तहत वनों की सुरक्षा के लिए प्रभावी नियम बनाये गये। वनों का तीन वर्गों में रखा गया हैं :-

1. आरक्षित वन
2. सुरक्षित वन
3. पंचायतीव न

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम में जीवों के संरक्षण संबंधी प्रावधान किये गये है।[4]

वन्य जीव अधिनियम, 1972 :-

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनकी खाल/मांस के व्यापार को रोकना है, यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियाँ है जो अलग-अलग तरह के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है।[5]

अनुसूची I :–

- अधिनियम की अनुसूची 1 मे उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि में सुरक्षा प्रदान की जाती हैं।
- इस अनुसूची के तहत कानून को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है।
- इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों को पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है।

अनुसूची II :–

- इसी सूची के अन्तर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है। सिवाह ऐसी स्थिति में जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो या गंभीर बीमारी से पीड़ित हों।

अनुसूची III और IV :–

- जानवरों की वे प्रजातियों जो संकटग्रस्त नहीं है उन्हें अनुसूची III और IV के अन्तर्गत शामिल किया गया है।
- इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली दो अनुसूचियों की तुलना में कम है।

अनुसूची V :–

- इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल है जिन्हें कृमि (छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते है और पौधों तथा भोजन को नष्ट करते है) माना जाता हैं। इन जानवरों का शिकार किया जाता सकता है।

अनुसूची VI :–

- यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है।
- निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है।

अधिनियम के तहत अनुसूचियों में शामिल संरक्षित जानवरों की सूची इस प्रकार हैं :–

अनुसूची I :–

- ब्लैक बक
- बंगाल टाईगर
- धूमिल तेंदूआ

- थ्हम तेंदूआ
- दलदल हिरण
- हिमाचली भालू
- एशियाई चीता
- कश्मीरी हिरण
- लायन टेल्ड मैकाक
- कस्तूरी मृग
- गै़डा
- ब्रो–एटलर्ड डियर
- चिंकारा
- कैण्ड लंगूर
- गोल्डन लंगूर, हूलॉक गिब्बन

अनुसूची II :–

- असमिया मैकाक
- पिग टेल्ड मैकाक, स्टंप टेल्ड मैकाक
- बंगाल हनुमान लंगूर
- हिमालयन ब्लैक बियर
- हिमालयन सैलामेंडर
- सियार
- उड़ने वाली गिलहरी, विशाल गिलहरी
- स्पर्म व्हेल
- भारतीय कोबरा, किंग कोबरा

अनुसूची III :–

- चित्तीदार हिरण
- नीली भेड़
- लकड़बग्घा

- नील गाय
- सांभर (हिरण)
- स्पंज

अनुसूची IV :–

- राजहंस
- खरगोश
- फाल्कन
- किंगफिशर
- नीलकण्ट पक्षी
- हार्सश क्रेष

अनुसूची V :–

- कोवे
- रूट्स बैट्स
- मूषक
- चूहा

अनुसूची VI :–

- साइकस बेडडोमि
- ब्लू वांडा (ब्लू ऑर्किड)
- कुथु (सैसुरिया लप्पा)
- स्लीपर ऑर्किड
- पियर प्लांट (नेपेंमथरन खासियाना)

अधिनियम के तहत गठित निकाय :–

- राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL)
- राज्य वन जीव बोर्ड (SBWL)
- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
- वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)[7]

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं :–

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वनीय जीवों के संरक्षण हेतु भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया एक कठोर कानून है। 1972 मे यह अस्तित्व में आया। वन्य जीव को 1976 को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, इस प्रकार यह केन्द्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

इसकी विशेषताओं एवं उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला जाये तो वे कुछ इस प्रकार हैं –

- यह वन्य जीवों से संबंधित शब्दावली को पारिभाषित करता हैं।
- यह वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, वन्य जीव वार्डन उनकी शक्तियों, कर्त्तव्यों आदि की नियुक्ति के लिये निर्देश देता है।
- अधिनियम के तहत लुप्तप्राय वन्य जीवन प्रजातियों की व्यापक सूची पहली बार बनाई गयी थी और लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया था।
- कुछ लुप्तप्राय पौधों जैसे बेडडोम साइकैड ब्लू वांडा, लेजीट स्लिपर, आर्किड, वियरप्लांट आदि को भी संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारणों आदि की स्थापना का प्रावधान है।
- अधिनियम केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- बिक्री, कब्जे, हस्तांतरण आदि के लिए लाइसेन्स के साथ कुछ वन्य–जीव प्रजातियों में व्यापार और वाणिज्य के लिये भी प्रावधान करता है।
- अधिनियम अनुसूचित पशुओं में व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह अधिकारियों को कानूनी शक्तियां प्रदान करता है और अपराधियों को सजा देता है।
- यह लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम प्रदान करता हैं।
- अधिनियम में मुताबिक, शिकार किये गये जंगली जानवरों, जानवरो की खाल से बनी वस्तुओं या किसी जंगली जानवर का मांस और भारत में आयात किये गए हाथी दाँत एवं ऐसे हाथी दाँत से बनी वस्तु सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी।8

पर्यावरणीय अधिनियमों को लागू करने में बाधाएँ :–

पर्यावरण संबंधित विभिन्न अधिनियम बना दिये गये है। 1972 का वन्य जीव अधिनियम उनमें से एक है। किन्तु इनके क्रियान्वयन में कई क्षेत्रीय परिस्थितिजन्य एवं सामाजिक बाधाएं आती हैं। अशिक्षा व बढ़ती जनसंख्या व गरीबी इसका एक बड़ा कारण हैं। वनों को काटना, उससे प्राप्त सामान को बेचना, जलाशयों को गंदा करना, वन्य जीवों को हानि पहुँचना। इनके बारे में कोई कानून भी हैं एक बड़ी जानकारी नहीं जानती है। अतः अज्ञानता व अनभिज्ञता के कारण ये पर्यावरणीय कानून लागू नहीं हो पाते

है। बड़े–बड़े तस्कर आदि वनों एवं वन्य जीवों का नाश करते है। देश के कई बड़े उद्योगपति भी इसी कतार में है।

कानूनों का पालन करवाने में विभिन्न बाधाएं आती है। कुछ धार्मिक एवं सामाजिक रीति–रिवाज ऐसे होते है व सख्ती करने पर एक बड़े जन–समूह का विरोध झेलना पड़ता है। यह विरोध कई बार बड़े आन्दोलन का भी रूप ले लेता है।

पर्यावरणीय अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रयास :–

जन चेतना/जागरूकता

पर्यावरण के प्रति जागरूकता संवेदना व महत्व की जानकारी प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है। पर्यावरण प्रत्येक जन से जुड़ा हुआ है। जन चेतना का कार्यक्रम एक वृहद कार्यक्रम है। खासकर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या तथा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक बड़ा कार्य है। इसके लिये लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा सकते है। स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में छात्र–छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं, नाटकों, प्रदर्शनी आदि के द्वारा भी जनता में व्यापक प्रचार–प्रसार का कार्य करवाया जा सकता है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न एन.जी.ओ., भी इस दिशा में जन जागरूकता का प्रयास कर सकते है।

मीडिया की भूमिका :–

जैसा कि हम सभी को विदित है कि लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में आज भारत में मीडिया अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। समाचार–पत्रों एवं टी.वी. पर दिखाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वन्य जीव कानूनों एवं पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का प्रकाशन किया जा सकता है ताकि देश की बड़ी आबादी तक ज्ञान का प्रसार हो सकें।[9]

सोशल मीडिया :–

आज इंटरनेट जन–जन तक पहुँच चुका है तो सरकार एवं अन्य संस्थाएं विभिन्न विज्ञापन (जो कि लोगों मे पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं)। यू–ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर तथा व्हाट्स एप के माध्यम से दिखा सकती है। पर्यावरणीय कानूनों के तहत बनायी गयी विभिन्न सरकारी संस्थाओं का अपना ट्विटर हैण्डल, वेबसाईट आदि निर्मित की जाती हैं। आम जनता विभिन्न आधारभूत पर्यावरणीय कानूनों की जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त कर सकती है।

शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका :–

शैक्षिक संस्थाओं में जन चेतना हेतु समय–समय पर विभिन्न आयोजन किये जा सकते है। विभिन्न पर्यावरणीय तत्वों को व्यक्ति के मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। भारतीय संस्कृति वैसे प्रकृति में भी ईश्वर की तलाश करती है। पंचतत्वों में भी हमारी प्रकृति एवं पर्यावरण की अहम् भूमिका है। अगर विद्यार्थियों को प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाये तो वे नद, तालाब, पेड़–पौधें, जीव–जन्तु सभी का संरक्षण करना स्वाभाविक रूप से ही सिख जायेगें।[10]

इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 आज वनीय जीवों की सुरक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों

में प्रभावी रूप से अपना कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस अधिनियम को लागू किया गया उसमें सरकार को सफलता मिली हैं। समय-समय पर परिस्थिति अनुसार इसके आवश्यक संशोधन पर इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाया गया हैं।

निष्कर्ष :-

किसी भी देश की प्रगति उसके विकास के स्तर से तय होती हैं। विकास सतत् व निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए आवश्यक है कि जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने का हर संभव प्रयास किया जाये। सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न कानूनों को पालन बाध्यकारी ना होकर स्वेच्छा से किया जावे। प्रकृति की और लौटो वाले संदेश को चरितार्थ करने का आज आवश्यकता है।

***सह आचार्य**
राजनीति विज्ञान विभाग
स्वर्गीय पंडित नवलकिशोर शर्मा
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दौसा (राज.)

संदर्भ सूची :-

1. औझा, शिव कुमार 'पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण' बौद्धिक प्रकाशन, झूसी उत्तरप्रदेश, 2017 पृ. 3-5
2. m.bharatdiscover.org.in
3. डॉ. सक्सेना, एस.एस. एवं मोहन सीमा 'जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण' कैलाश पुस्तक सदन भोपाल पृ. 240-50
4. बागड़ी, देवेन्द्र, 'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972' इण्डियन लॉ हाऊस, 2020, पृ. 7-9
5. बाबेल, बसंती 'वन एवं वन्य जीव संरक्षण विधि' ईस्टर्न बुक कंपनी, 2011, पृ. 25-30
6. रावत, ज्ञानेन्द्र 'पर्यावरण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 333
7. शर्मा दीप्ति, कुमार महेन्द्र 'पर्यावरण प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधन' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2009, पृ. 236-237
8. brainly.in
9. त्यागी, एम.एच. 'ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज' राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 2005, पृ. 154-155
10. मेनन विवेक, कुमार अशोक 'वन्य जीव अपराध प्रवर्तन दर्शिका' वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया।